प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 771 सन 2021
अनवान :–

1. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. हरिसिह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. दलीप सिह पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. बलवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. शिशुपाल उर्फ शिशपाल पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुमासर के खाात संख्या 345/250 की कुल 10.1410हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी भूमि पूर्व में नन्दराम पुत्र रतिराम के नाम दर्ज थी जिसमें से वादी की माता लिछमा जोजा श्याकरण ने जरिये बेयानाम रोही मौजा डुमासर के खसरा न0 308 की 15.05बीधा भूमि खरीद की थी जिसका नामान्तकरण करते समय मुश्तरका खाते में दर्ज कर खसरा न0 305 की 305 हिस्सा के बजाय 3.098हैक एवं ऑनलाईन करते समय 2.3390हैक दर्ज कर दी जबकि वादी की माता ने खसरा न0 308 की 15.05 बीधा भूमि खरीद की गई जो लिछमा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 खसरा न0 308 की 2.3390के स्थान पर 15.05 बीधा अर्थात 3.858हैक भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है।

नन्दराम पुत्र रतिराम ने जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बलवन्त , शिशुपाल रोही मौजा डुमासर के खसरा न0 306/0.8220हैक , खसरा न0 294 की 2.5920हैक भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में है किन्तु मुश्तरका खाते में दर्ज कर दी

नन्दराम पुत्र रतिराम ने जरिये बयनामा प्रतिवादी संख्या 5 दलीप को रोही मौजा डुमासर के खसरा न0 106/406 की 4.3250हैक, 134/410 की 0.0630हैक भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है

वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिन्होने विशेष हिस्से के अनुसार भूमि खरीद की थी अपने बैयनामा के अनुसार खरीद की गई भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता के द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा न0 308 की 15.05 बीधा जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 308 की 2.339हैक दर्ज है के स्थान पर 3.858हैक संशोधन करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज भूमि का बेयनामा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है एवं वादी की माता लिछमा के द्वारा खरीद की गई भूमि के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वादी की माता लिछमा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने नन्दराम पुत्र रतिराम ने विशेष हिस्से के अनुसार भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी की माता लिछमा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उनकी माता के द्वारा 15.05 बीधा अर्थात 3.858हैक भूमि खरीद की गई थी जो वर्तमान में 2.3390हैक दर्ज को संशोधन किया जाकर 3.858हैक दर्ज किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि उनकी माता लिछमा ने नन्दराम पुत्र रतिराम से जरिये बैयनामा रोही मौजा डुमासर के खसरा न0 308 की 15.05 बीधा भूमि खरीद की गई थी वादी की माता लिछमा का देहानत हो चुका है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है वादी की माता लिछमा ने 15.05 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 2.3390हैक दर्ज है अर्थात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय 3.858हैक के स्थान पर 2.3390हैक दर्ज की गई है को संशोधन करवाने के अधिकारी है वादी के द्वारा प्रस्तुत बेयानामा एवं जमाबन्दीयों के अनुसार वादी की माता लिछमा ने नन्दराम पुत्र रतिराम से 15.05 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो गई थी किन्तु आगामी जमाबन्दीया बनाते समय 3.858हैक के स्थान पर 2.3390हैक दर्ज कर दिया जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वादी का कथन है कि वादी की माता लिछमा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने नन्दराम पुत्र रतिराम से जरिये बैयनामा विशेष खसरा की भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने जरिये बैयनामा खरीद की गई थी के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 345/250 के खसरा न0 306 की 0.8220हैक, खसरा न0 294 की 2.5920हैक का प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब एवं खसरा न0 106/406 की 4.3250हैक एवं खसरा न0 134/410 की 0.0630हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 तथा खसरा न0 308 की 2.3390हैक की बजाय 3.858हैक संशोधन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग करने हेतु 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गाव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... गोरखाना.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रेम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. हरिसिह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. दलीप सिह पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. बलवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. शिशुपाल उर्फ शिशपाल पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 771 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 345/250 के खसरा न0 306 की 0.8220हैक, खसरा न0 294 की 2.5920हैक का प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब एवं खसरा न0 106/406 की 4.3250हैक एवं खसरा न0 134/410 की 0.0630हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 तथा खसरा न0 308 की 2. 3390हैक की बजाय 3.858हैक संशोधन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग करने हेतु 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....गोरखाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर